238

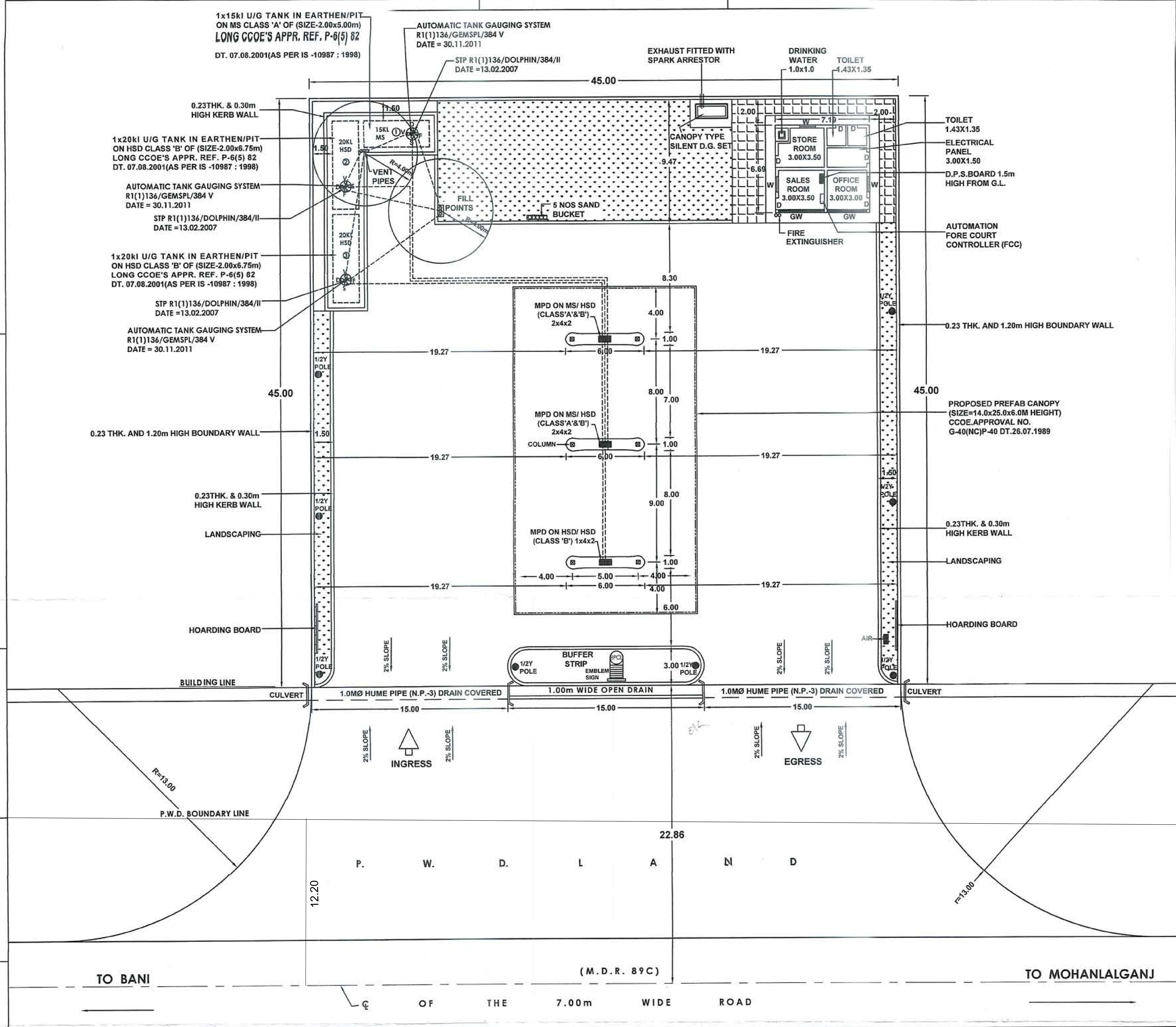

LAYOUT PLAN
Scale= 1:200
Dimension in Mts

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा ग्राम घावापुर, तहसील-सरोजनीनगर के खसरा सं0-268 प्रमुख जिला मार्ग (89सी) के किमी0 05 (चैनेज 4.128 से 4.173) रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1- मेसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा ग्राम घावापुर, तहसील-सरोजनीनगर के खसरा सं0-268 प्रमुख जिला मार्ग (89सी) किमी0 05 (चैनेज 4.128 से 4.173) के बॉयी ओर स्थित है। मानचित्र में अंकित दूरी (22.86) लोक निर्माण विभाग की स्थायी भूमि सीमा से बाहर है, किन्तु रोड साइट लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट की सीमा के अन्तर्गत है, जो कि लेपित मार्ग के मध्य से 22.86 मीटर दूरी तक पक्का निर्माण रोड साइट लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत अनाधिकृत है। संलग्नक मानचित्र में अंकित दूरी तक निम सामग्री लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि सीमा में एकत्र न किया जाये।
2- पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट परिसर का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 15 सेमी0 नीचा होना चाहिए, ताकि सड़क पर परिसर का पानी नहीं आने पाये।
3- पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट परिसर विभागीय भूमि के बीच परिसर में पक्की ड्रेन बनाई जाये तथा उसे लोहे की ग्रेटिंग ढका जाये, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और रिटेल आउटलेट परिसर का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में सकें।
4- सड़क से पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट परिसर तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 1.00 मीटर व्यास की एनपी ह्यूम पाईप/आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाये।
5- ड्रेनेज हेतु पेट्रोल पम्प/डीजल रिटेल आउटलेट एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
6- पेट्रोल पम्प/डीजल स्टोरेज टैंक पर लगाये जाने वाले साईनेज जमीन से कम से कम 03 मीटर ऊपर रखा जाये। पम्प के साईनेज के अतिरिक्त कोई अन्य स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग लो0नि0वि0 की जमीन पर न खड़ा किया जाये।
7- लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि (12.20 मीटर) पर कोई भी निर्माण एवं साईन-बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
8- बफर स्ट्रिप के बाहरी सिरे से फ्यूल फिलिग पम्प की दूरी 7.00 मीटर से कम नहीं होगी।
9- बफर स्ट्रिप कम से कम 3.00 मीटर चौड़ी एवं न्यूनतम 15.00 मी0 लम्बी होनी चाहिए तथा प्रवेश एवं निकासी द्वार कम से क 15.00 मीटर से कम नहीं होंगे।
10- यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त सम जाये।
11- भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12- मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
13- एम0ओ0आर0टी0 एण्ड एच0 द्वारा जारी पत्रांक-आर0डब्लू0/एन0एच0 33023/19/99डी0ओ0 111, दि0 24.07.2013 में दिये ग निर्देशों व चेकलिस्ट की शर्तों एवं आई0आर0सी0 कोड 12, 2009 में दी गई शर्तें लागू होंगी।
14- जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व पर वांछित निर्माण हटाना होगा।
15- भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं0-आर0डब्लू0/एन0एच0-33023/19/99-डी0ओ0-III, दि0 24.07. द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक धनराशि सिंडिकेट बैंक, शाखा-वृन्दावन कालोनी, जिला-लखनऊ का डी0डी0 नं0-3060 दि0 19.06.2019 रू0 2,78,520/- जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, लखनऊ के नाम से जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्र सं0-1881/एन0ओ0सी0/2019-2 दि0 29.07.2019 तथा अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्र सं0-4883/645सी(18)-ल0वृ0/19, दि0 07.08.20 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(एस0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रभारी अधिकारी (अना0प्र0-पत्र) कृते जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-4883/645सी(18)-ल0वृ0/19, दि0 07.08.2019 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-1881/एन0ओ0सी0/2019-20, दि0 29.07.2019 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

Suraj Pratap
For And on behalf of
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
Attorney
17/9/19

07/09/19
मुख्य अभियन्ता, (म0क्षे0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

N W E S

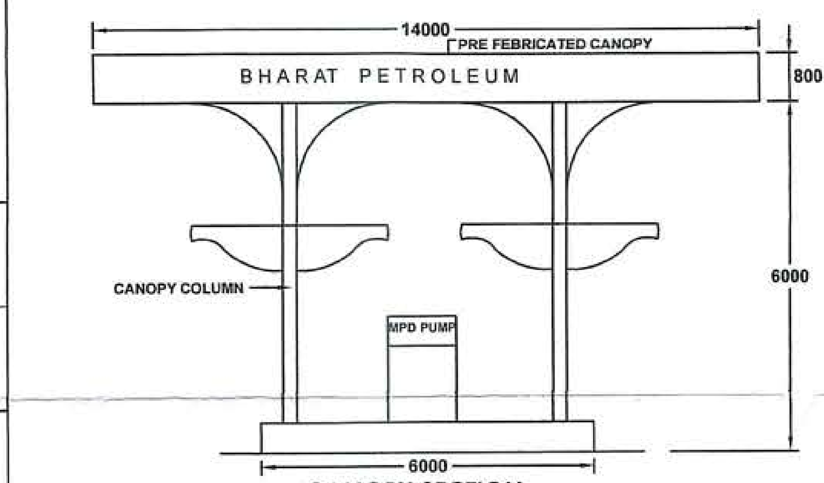

CANOPY SECTION
CCOE.APPROVAL NO.
G-40(NC)P-40 DT.26.07.1989

NOTES :-

1. V = VENT PIPES 4M HIGH AND END COVERED WITH 2 LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETER.
2. F = FILL POINTS FITTED WITH CAM LOCK COUPLING AND AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
3. D = DIP PIPES WITH CAP ASSEMBLY.
4. ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE FLAME PROOF CONFORMING TO IS :2148
5. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
6. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6M OF THE U/G TANK & D/U.
7. PREMISES TO BE USED FOR ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
8. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LEAD PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
9. FABRICATION DESIGN OF UNDER GROUND STORAGE TANK ARE CONFORMING TO I.S.: 10987 : 1998 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40 (SC) P/MISC 94 DATED-24.02.99.
10. ALL DIMENSIONS ARE IN MTR. UNLESS OTHERWISE NOTED.
11. S.B. SAND BUCKET 10 NO'S OR AS PER EXPLOSIVE RULES.
12. F.E. FIRE EXTINGUISHER. 10 NO'S OR AS PER EXPLOSIVE RULES.
13. TANK SHOULD BE GIVEN HYDROLIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING AS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MAINTAINED AT A CONTROLLED PRESSURE OF 0.36KG/SQ.CM. FOR 2 HOURS.
14. DIP ROD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 LONG INSTEAD OF STANDARD 2350MM.
15. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATES AND END PLATE OF TANKS:
    20KL.SHELL-6MM
    END - 8MM
16. TANKS CONFORMS TO 124.125 & 131 OF THE PETROLEUM RULE-2002
17. ALL LIGHT POLES AER FITTED AS PER APPROVAL OF CCE NAGPUR VIDE LETTER NO. PL-III(MBI) DATED:26.11.1963.
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM THE EDGE OF MEDALLED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
19. SITE MEETS APPLICABLE IRC.1983 NORMS WITH LATEST AMENDMENTS.
20. EV - EXTENDED VENT POINT
    E = EXTENDED FILL POINTS.
21. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
22. NO ELECTRICAL LINE PASSES OVER THE R/O PREMISES .
23. PROPOSED AND EXISTING WORK SHOWN IN SPECIFIC COLOUR
24. HOARDING BOARD WILL NOT BE USED OF FLEX MATERIAL

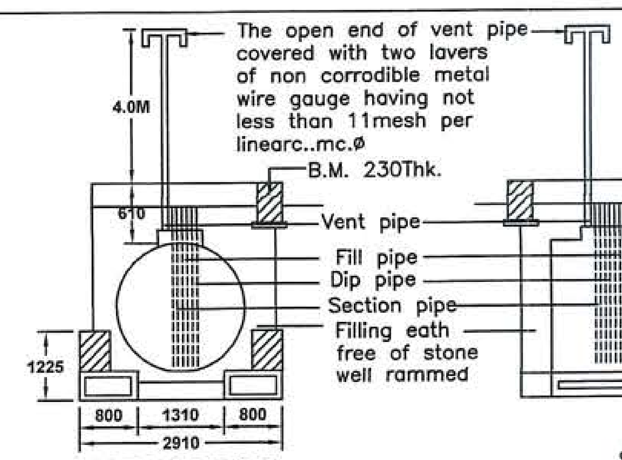

SECTION ON 'B-B'
SCALE - NTS

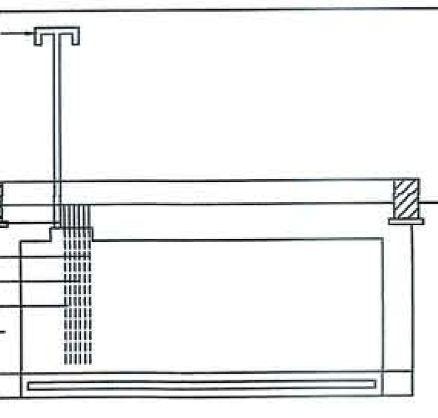

SECTION ON 'C-C'
SCALE - NTS

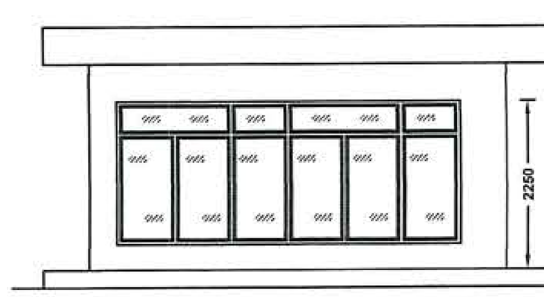

FRONT ELEVATION
SCALE - NTS

DETAIL OF DISPENSER	
Sr.No.	TYPE OF MPD
1	1 MPD HSD/HSD
2	1 MPD MS/HSD
3	1 MPD MS/HSD

DETAIL OF TANKS

Sr.No.	PRODUCT	CAPACITY	DIA Ø	LENGTH	TYPE OF TANKS
1	MS	15KL	2.00Ø	5.00M	E-PIT
2	HSD	20KL	2.00Ø	6.75M	E-PIT
3	HSD	20KL	2.00Ø	6.75M	E-PIT

SITE INFORMATION

PLOT AREA	2025.00 Sqmt.
KHASRA NO.	268
LOCATION	DHAWAPUR
PARGANA	BIJNOR
TEHSIL	SAROJINI NAGAR
POST OFFICE	BANTHRA
POLICE STATION	BANTHRA
RAILWAY STATION	MOHANLALGANJ
DISTRICT	LUCKNOW
STATE	UTTAR PRADESH
PIN CODE	226 401
NEAR KM STONE NO.	4
ROAD NO.	M.D.R. 89 C

REVISION DRG. NO.	DATE	ZONE OR PART	BRIEF RECORD	INITIALS

REVISIONS

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
(MARKETING - DIVISION)

Subject-: Layout Plan of a Retail Outlet

On Bani - Mohanlalganj Road ,At -Village - Dhawapur, Tehsil - Sarojini Nagar, District - lUCKNOW (U.P.)Near Km. Stone No. 4 (M.D.R. 89 C)

Distt.- Lucknow (U.P.) | At.-Village - Dhawapur

DATE– 28.03.2019	CHIEF ENGINEER	DIV./MANAGER
SCALE 1 : 200		
DRAWN Arvind Kumar	TRACED	CHECKED

28.03.19	BPCL/L4/2019
DATE	DRAWING NO.

NUMBERS CROSSED OUT ARE SUPERSEDED DRAWING NO.

BPCL/L4/2019
DRAWING NO.